राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय,राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–सं.3(4)(1)संविदा / च.श्रे.कर्म. / अभि / 2012 / 2969-89 दिनांक 26/2/18

– आदेश –

अभियोजन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने के लिये सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या कमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए.11 / 94 दिनांक 08.2.2018 में वर्णित शर्तो के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है। इसलिये उच्च पद से सेवा निवृत कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिको को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड पे के अनुसार (परिशिष्ठ–क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रुप से संविदा पर नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत से पूर्व विभाग का नाम	स.नि.अ.कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है।	विशेष विवरण
1.	श्री हरीराम	02.07.1953	राजस्व विभाग, बाडमेर	बाडमेर	प्रथम बार
2.	श्री फूलचन्द शर्मा	10.07.1957	न्याय विभाग,झुन्झनू	झुन्झनू	प्रथम बार
3.	श्री राधेश्याम शर्मा	14.03.1956	एस.एस.आर.पी.टी.बी क्लीनिक जोधपुर	जोधपुर	प्रथम बार
4.	श्री रघुवीर सिंह चौहान	15.6.1957	स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,चित्तोडगढ	चित्तोडगढ	प्रथम बार
5.	श्री चम्पालाल मेनारिया	21.1.1956	महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तोडगढ	चित्तोडगढ	प्रथम बार
6.	श्री कैलाश चन्द शर्मा	22.7.1957	शिक्षा विभाग,अजमेर	अजमेर	प्रथम बार
7.	श्री बदरी लाल	01.12.1957	सनिअ,अजमेर	अजमेर	प्रथम बार
8.	श्री भगवान सहाय	20.7.1957	सनिअ,प्रथम जयपुर शहर	जयपुर शहर प्रथम	प्रथम बार
9.	श्री ओम प्रकाश मीणा	20.9.1957	सनिअ, जयपुर देहात	जयपुर देहात	प्रथम बार
10.	श्री सीताराम शर्मा	30.6.1957	सनिअ, करौली	करौली	प्रथम बार
11.	श्री भंवर सिंह राजपूत	25.7.1957	सनिअ, करौली	करौली	प्रथम बार
12.	श्री अमर सिंह	15.11.1957	सनिअ,प्रथम जयपुर शहर	जयपुर शहर प्रथम	प्रथम बार

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या कमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94दिनांक 11.07.2017 एवं 08.02.2018 के कम में नियुक्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगें।

2. सहायक निदेशक अभियोजन संविदा पर नियुक्ति कार्मिक से नियमानुसार 500 /– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इंकारनामा सम्पादित करायेगें।

3. चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेगें।

4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
5. पुनः नियुक्ति सेवा निवृत कर्मचारियों की **सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है। संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
6. इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014–00–114–02–01–(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश प्रशासनिक विभाग गृह(ग्रुप–10)विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.संख्या RAJ-E 00035 / गृह–10 / ACSH(659) दिनांक 07.02.2018 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरुप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप–10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. **निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।**
3. उप निदेशक अभियोजन, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर,जयपुर प्रथम / द्वितीय एवं उदयपुर ।
4. सहायक निदेशक अभियोजन————————
5. समबन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन ।
6. लेखाशाखा / रक्षित पत्रावली

23/2/18

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान,जयपुर